BCCI BULLETIN

Vol. 51 | JANUARY 2020 | No. 1

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

नववर्ष के अवसर पर चैम्बर प्रतिनिधिमंडल महामहिम राज्यपाल, माननीय उप मुख्यमंत्री तथा अन्य लोगों से मिला

महामहिम राज्यपाल श्री फागू चौहान को पुष्पगुच्छ भेंटकर नववर्ष की शुभकामनाएँ देते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।
साथ में प्रतिनिधिमंडल के सदस्यगण।

दिनांक 26 जनवरी 2020 को पूर्वाह्न 11 बजे चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने चैम्बर प्रांगण में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर 71वाँ गणतंत्र दिवस समारोह मनाया। इस अवसर पर चैम्बर सदस्य काफी संख्या में उपस्थित थे।

माननीय उपमुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी को पुष्पगुच्छ भेंटकर नववर्ष की शुभकामनाएँ देते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।
साथ में प्रतिनिधिमंडल के सदस्यगण।

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (बिहार-झारखंड) को पुष्पगुच्छ भेंटकर नववर्ष की शुभकामनाएँ देते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।
साथ में प्रतिनिधिमंडल के सदस्यगण।

बिहार चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज का एक प्रतिनिधिमंडल चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल के नेतृत्व में दिनांक 1 जनवरी 2020 को

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं

चैम्बर का एक प्रतिनिधिमंडल मेरे नेतृत्व में दिनांक 1 जनवरी, 2020 को महामहिम राज्यपाल, बिहार श्री फागू चौहान, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (बिहार–झारखण्ड) श्री बीरेन्द्र सिंह एवं अन्य से मिलकर नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। प्रतिनिधिमंडल में उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, श्री सुभाष पटवारी, श्री राजेश खेतान, श्री सुनील सराफ, श्री आलोक पोद्दार एवं श्री प्रदीप चौरसिया भी सम्मिलित थे।

स्थानीय ज्ञान भवन में दिनांक 4 जनवरी, 2020 को बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जी0एस0 मार्केटिंग एसोसियेट्स के द्वारा आयोजित भारतीय अंतराष्ट्रीय मेले का शुभारम्भ हुआ जो 13 जनवरी, 2020 तक चला। इस मेले के उद्घाटन सत्र में मैं भी बतौर सम्मानित अतिथि मंचासीन था। संक्षिप्त रिपोर्ट इस बुलेटिन में प्रकाशित है।

एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लि0 के प्रतिनिधि के रूप में अभियन्ता श्री तरूण दीक्षित बिहार में एयरलाइन एलाइड सविसेज के परिचालन की सम्भावनाओं पर विचार–विमर्श हेतु दिनांक 07 जनवरी, 2020 को चैम्बर आये और चैम्बर पदाधिकारियों से विमर्श किया।

विकास आयुक्त श्री सुहर्ष भगत ने जल–जीवन–हरियाली, नशामुक्ति, बाल–विवाह एव दहेज प्रथा उन्मूलन के समर्थन में दिनांक 19 जनवरी, 2020 को राज्य व्यापी मानव श्रृंखला में समर्थन हेतु चैम्बर के साथ दिनांक 10 जनवरी, 2020 को बैठक की एवं चैम्बर से कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु सहयोग की अपील की।

चैम्बर ने 19 जनवरी 2020 को कारगिल चौक के पास मानव श्रृंखला में अपनी भागीदारी निभाई एवं चैम्बर की अपील पर पटना में विभिन्न संगठनों/सदस्यों ने विभिन्न स्थानों पर एवं बिहार के कई स्थानों पर अपनी भागीदारी निभाई। मानव श्रृंखला से संबंधित समाचार इसी बुलेटीन में आगे प्रकाशित है।

प्रमंडलीय आयुक्त श्री एस0 के0 अग्रवाल ने भारतीय रिजर्व बैंक की पटना शाखा सहित सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को 1, 2, 5 व 10 के सभी प्रकार के वैध नये और पुराने सिक्कों को स्वीकार करने हेतु दिनांक 20 जनवरी, 2020 को अपने कार्यालय कक्ष में बैठक की। उक्त बैठक में मैं भी आमंत्रित था। प्रमंडलीय आयुक्त ने बैंकों से कहा कि ग्राहकों की ओर से लाये गये सिक्कों को हर परिस्थिति में स्वीकार करना होगा। बैठक के सम्बन्ध में संक्षिप्त रिपोर्ट आगे उद्धृत है।

आयकर विभाग द्वारा चैम्बर प्रांगण में दिनांक 24 जनवरी, 2020 को आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयकर विभाग के पदाधिकारियों द्वारा आयकर दाताओं को कई प्रकार की जानकारी दी गयी। व्यवसायियों ने भी आयकर से संबंधित समस्याओं एवं आयकर दाताओं को सुविधा प्रदान करने हेतु सुझाव भी दिये। बैठक काफी उपयोगी रही।

चैम्बर परिसर में दिनांक 26 जनवरी, 2020 को झण्डोतोलन के पश्चात् चैम्बर कार्यालय में नये ''उद्यमिता संवाद कक्ष'' का उद्घाटन मैंने किया। इस अवसर पर काफी सदस्य उपस्थित थे। इस संवाद कक्ष के बन जाने से चैम्बर के पास अब चार हॉल हो गये।

बन्धुओं, आपको मालूम है कि केन्द्रीय बजट 2020–21 दिनांक 01 फरवरी, 2020 को माननीया केन्द्रीय वित मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश होगा । बजट से अपेक्षाएं तो बहुत है फिर भी बजट पेश होने के बाद ही यह पता चलेगा कि बजट कैसा रहा, बिहार को क्या मिला, व्यवसायियों और अन्य नागरिकों के हित में क्या मिला।

सादर,

आपका

पी0 के0 अग्रवाल

महामहिम राज्यपाल बिहार श्री फागू चौहान जी से मिला और उन्हें पुष्पगुच्छ देकर नववर्ष की शुभकामना दी।

महामहिम राज्यपाल ने भी प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को नववर्ष की बधाई दी एवं सभी के जीवन में शांति एवं समृद्धि की कामना की।

इसके अतिरिक्त प्रतिनिधिमंडल ने माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (बिहार- झारखंड) श्री वीरेन्द्र सिंह एवं अन्य को भी नव वर्ष की शुभकामना दी ।

प्रतिनिधिमंडल में उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, श्री सुभाष पटवारी, श्री राजेश खेतान, श्री सुनील सराफ, श्री आलोक पोद्दार एवं श्री प्रदीप चौरसिया शामिल थे।

उद्यमिता संवाद कक्ष का चैम्बर अध्यक्ष द्वारा उद्घाटन

"उद्यमिता संवाद कक्ष" का फीता काट कर उद्घाटन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण

चैम्बर परिसर में दिनांक 26 जनवरी 2020 (रविवार) को चैम्बर अधयक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर झण्डोत्तोलन के पश्चात् चैम्बर कार्यालय में बने सुसज्जित नये **''उद्यमिता संवाद कक्ष''** का उद्घाटन शिलापट्ट का अनावरण एवं फीता काट कर किया। इस संवाद कक्ष के बन जाने से चैम्बर के पास अब चार हॉल हो गये हैं।

उक्त अवसर पर चैम्बर उपाधयक्ष श्री एन. के. ठाकुर, उपाधयक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी सहित चैम्बर के सदस्य काफी संख्या में उपस्थित थे।

''उद्यमिता संवाद कक्ष'' के उद्घाटन की झलकियाँ

उद्यमिता संवाद कक्ष के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित चैम्बर पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण

उद्घाटन के पश्चात् "उद्यमिता संवाद कक्ष" के पास उपस्थित चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री एन. के ठाकुर, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल एवं महामंत्री श्री अमित मुखर्जी।

"उद्यमिता संवाद कक्ष" के शिलापट्ट का अनावरण करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल।

"उद्यमिता संवाद कक्ष" में अल्पाहार लेते सदस्यगण।

पटना में शुरू हुए मेगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला में चैम्बर अध्यक्ष हुए शामिल

व्यापार मेले का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारम्भ करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, माननीय उद्योग मंत्री, बिहार श्री श्याम रजक, पटना मेयर श्रीमती सीता साहू एवं आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री प्रकाश शाह, बंगला देश के डिप्टी हाई कमिश्नर श्री तौफीक हसन, सुवर्णा दत्ता, रामलाल खेतान।

राजधानी के ज्ञान भवन कन्वेंशन सेंटर में दिनांक 04.1.2020 को भारतीय अंतरराष्ट्रीय मेगा व्यापार मेला शुरू हुआ। इसका उद्घाटन राज्य के उद्योग मंत्री श्याम रजक ने किया।

इस अवसर पर चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल भी सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित थे। 13 जनवरी तक चलने वाले इस मेले का आयोजन बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जीएस मार्केटिंग एसोसिएट्स द्वारा किया गया। जीएस मार्केटिंग की यह 219वीं प्रदर्शनी है, जिसमें देश-विदेश के हजारों उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनी में अफगानिस्तान, थाईलैंड,

मंचासीन (दाँयें से) चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, बंगला देश के डिप्टी हाई कमिश्नर श्री तौफीक हसन, उद्योग मंत्री, बिहार श्री श्याम रजक, पटना की महापौर श्रीमती सीता साहू, श्री रामलाल खेतान एवं सुवर्णा दत्ता।

कार्यक्रम को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित करते आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री प्रकाश शाह।

बांग्लादेश, ईरान, मलेशिया और दुबई के व्यवसायी और कंपनियाँ भाग ले रही हैं। वहीं पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के विभिन्न सरकारी विभाग और सार्वजनिक उपक्रम भी इस व्यापार मेले में शामिल हो रहे हैं।

आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रकाश शाह ने बताया कि व्यापार मेले का मुख्य मकसद देश के राज्यों और दूसरे देशों के साथ आर्थिक विकास और प्रगति के लिए भागीदारी बढ़ाना है। बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर तौफीक हसन, पटना की मेयर सीता साहू, व्यापार संवर्धन और व्यवसाय विकास समिति के सह अध्यक्ष सुवर्णा दत्ता सहित अन्य मौजूद थे।

चैम्बर अध्यक्ष ने इस कार्यकम को सेबोधित भी किया।

एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लि० के प्रतिनिधि चैम्बर पदाधिकारियों से मिले

चैम्बर के पदाधिकारियों से विचार-विमर्श करते एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लिमिटेड के प्रतिनिधि श्री तरूण दीक्षित (दाँये से दूसरे)।

दिनांक 07 जनवरी 2020 एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लि० के प्रतिनिधि के रूप में अभियंता (पी. एंड टी.) श्री तरुण दीक्षित बिहार चौम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रांगण में आकर चैम्बर अध्यक्ष श्री पी.के. अग्रवाल से मिले एवं बिहार में एयरलाइन एलाइड सर्विसेज के परिचालन की संभावनाओं पर विचार -विमर्श किया। इस अवसर पर चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, पूर्व उपाध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी, पूर्व महामंत्री श्री ए. के. पी. सिन्हा, कार्यकारिणी सदस्य श्री सुबोध कुमार जैन एवं श्री सांवल राम डोलिया उपस्थित थे।

चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व सांसद, देश के जाने-माने व्यवसायी एवं समाजसेवी महाराज कमल बहादुर सिंह के निधन से चैम्बर शोकाकुल

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने पहले आम चुनाव के सांसद, जाने माने व्यवसायी, समाज सेवी तथा चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष महाराज कमल बहादुर सिंह जी के निधन पर चैम्बर प्रांगण में एक शोक सभा का आयोजन कर दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना की।

चैम्बर अधयक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने कहा कि महाराज कमल बहादुर सिंह 30 सितम्बर 1975 से 14 सितम्बर 1976 तक बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के उपाध्यक्ष तथा 14 सितम्बर 1976 से 26 सितम्बर 1977 तक अध्यक्ष के रूप में राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों का नेतृत्व किया। उन्होंने दिनांक 5 जनवरी 2020 की सुबह जीवन की अंतिम सांस ली। वे काफी समय से बीमार थे। महाराज कमल बहादुर सिंह के निधन से राज्य के व्यवसाय जगत में एक शोक की लहर है।

श्री अग्रवाल ने बताया कि चैम्बर का 50 वर्ष पूरा होने होने पर महाराज कमल बहादुर सिंह के कार्यकाल में गोल्डन जुबली समारोह का आयोजन काफी वृहत रूप से हुआ था जिसे चैम्बर के सदस्य आज भी याद करते हैं। वे एक जाने -माने सामाजिक कार्यकर्ता थे। जीवन पर्यंत समाज के विभिन्न क्षेत्रों खासकर शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए उनके विशिष्ट योगदान के लिए शाहाबाद क्षेत्र के लोगों की स्मृति में वे सदैव अंकित रहेंगे।

शोक सभा में चैम्बर के पदाधिकारियों के साथ-साथ सदस्य सम्मिलित हुए एवं दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी।

चैम्बर ने मनायी पूर्व अध्यक्ष, स्व० खेमचन्द चौधरी की 45वीं पुण्य तिथि

स्व० खेमचंद चौधरी के चित्र पर माल्यार्पण करते चैम्बर अध्यक्ष एवं सदस्यगण।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 14 जनवरी 2020 को पूर्व अध्यक्ष स्व० खेमचन्द चौधरी जी की 45वीं पुण्य तिथि मनायी गयी। इस अवसर पर स्व० चौधरी को श्रद्धासुमन अर्पित कर उनके व्यक्तित्व एवं कीर्तित्व को याद किया गया ।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने अपना श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए बताया कि स्व० चौधरी 14 जनवरी 1975 को चैम्बर की ओर से जरूरतमदों के बीच कम्बलों का वितरण करने कार से दरभंगा जा रहे थे। रास्ते में कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गयी थी। उस समय से लगातार 14 जनवरी को उन्हें याद किया जाता है। उन्होंने आगे बताया कि वे व्यापार, उद्योग के साथ-साथ सामाजिक कार्यो में भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते थे। उनकी मृत्यु भी परोपकार करते हुए ही हुई।

श्रद्धांजलि सभा में श्री सुभाष कुमार पटवारी, श्री शशि मोहन, श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, श्री राज बाबू गुप्ता, श्री सावल राम डूोलिया, श्री राज कुमार सराफ, श्री अखिलेश कुमार एवं स्व० चौधरी के पौत्र श्री अमर चौधरी के साथ-साथ अन्य सदस्य सम्मिलित हुए एवं व्यवसायिक हित में उनके द्वारा कृत कार्यों को याद करते हुए उनके प्रति श्रद्धासुमन अर्पित किया ।

दिनांक 19 जनवरी को आयोजित राज्यव्यापी मानव श्रृंखला पर उप विकास आयुक्त ने की चैम्बर के साथ बैठक

बैठक को सम्बोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। उनकी बाँयीं ओर उप विकास आयुक्त श्री सुहर्ष भगत, विशिष्ठ अनुभाजन पदाधिकारी श्री जैनेन्द्र कुमार, अपर समाहर्ता श्री राजीव कुमार सिंह, एसडीएम, पटना सदर कुमारी अनुपम सिंह एवं सिटी मजिस्ट्रेट श्री शैलेन्द्र भारती तथा दाँयीं ओर चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं पूर्व अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 10 जनवरी 2020 को पटना के उप विकास आयुक्त श्री सुहर्ष भगत ने जल-जीवन-हरियाली, नशामुक्ति, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन के समर्थन में दिनांक 19 जनवरी 2020 को आयोजित राज्यव्यापी मानव श्रृंखला के कार्यक्रम हेतु चैम्बर के साथ बैठक की एवं कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग मांगा ।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने उप विकास आयुक्त एवं जिला प्रशासन के अन्य पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बताया कि आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य जल-जीवन-हरियाली, नशामुक्ति, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन के समर्थन में दिनांक 19 जनवरी 2020 को आयोजित राज्यव्यापी मानव श्रृंखला कार्यक्रम को सफल बनाने पर विचार-विमर्श करना है।

श्री अग्रवाल ने इस अवसर पर उद्यमियों एवं व्यवसायियों से अपील किया कि पूर्व की भाँति जहाँ पर भी उनका व्यवसायिक प्रतिष्ठान या घर है, अपनी सुविधानुसार वहाँ पर आप स्वयं तो मानव श्रृखला में सम्मिलित हों ही साथ ही अपने परिवार के सदस्यों एवं प्रतिष्ठान के कर्मचारियों को भी मानव

श्रृंखला में आवश्यक रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने जिला प्रशासन को भी आश्वस्त किया कि चैम्बर के सदस्यगण पूर्व की भाँति राज्य सरकार के इस अभियान को सफल बनाने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे ।

उप विकास आयुक्त ने बताया कि आपसभी ने पूर्व में भी आयोजित मानव श्रृंखला कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया है। इस कार्यक्रम में समाज के सभी वर्गों का सहयोग परम आवश्यक है। इसमें जिला प्रशासन का कोई दवाब नहीं है बल्कि यह स्वैच्छिक कार्यक्रम है। मुख्य कार्यक्रम गाँधी मैदान में होगा और वहीं से राज्य के सभी भागों के लिए मानव श्रृंखला का रूट बनेगा। उन्होंने कहा कि चैम्बर के सदस्य कहाँ-कहाँ रहेंगे, उन स्थानों को चिन्हित कर प्रशासन को सूचित करें। वह स्थान उनके लिए सुरक्षित रखी जायेगी।

श्री जैनेन्द्र कुमार, विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी जो कि मानव श्रृंखला के नोडल पदाधिकारी भी हैं, ने मानव श्रृखंला के उद्देश्य पर प्रकाश डाला एवं विस्तृत जानकारी दी।

बैठक में जिला प्रशासन की ओर से अपर समाहर्त्ता श्री राजीव कुमार सिंह, एसडीओ कुमारी अनुपम सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट श्री शैलेन्द्र भारती के साथ-साथ अन्य वरीय पदाधिकारी सम्मिलित हुए।

उक्त अवसर पर चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल के अतिरिक्त उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, पूर्व अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह, वरीय

उप विकास आयुक्त सुहर्ष भगत को पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत करते अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन।

सदस्य श्री रामाशंकर प्रसाद, श्री सच्चिदानन्द, श्री राजेश खेतान, श्री पी० के० सिंह, श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, श्री शशि मोहन, श्री ए० के० पी० सिन्हा, श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल के साथ-साथ काफी संख्या में उद्योग एवं व्यवसाय के लोग उपस्थित थे।

चैम्बर के महामंत्री श्री अमित मुखर्जी के धान्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त हुई।

चैम्बर द्वारा मानव श्रृंखला 2020 में भागीदारी

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से जल-जीवन-हरियाली, नशामुक्ति, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के उन्मूलन के समर्थन में चैम्बर ने कारगिल चौक पर और चैम्बर की अपील पर चैम्बर के सदस्यों ने पटना के अलावा विभिन्न स्थानों पर मानव श्रृंखला 2020 में अपनी भागीदारी निभाई।

ना दहेज, ना बाल विवाह, ना हो नशे की बात यहाँ।
हरित आवरण बढ़ता जाय, बन जाये खुशहाल जहाँ।।

उपर्युक्त स्लोगन सहित चैम्बर के बैनर के साथ खड़े सदस्यों के कुछ फोटो यहाँ सूचनार्थ प्रकाशित किये जा रहे हैं।

मानव श्रृंखला की कुछ झलकियाँ

कारगिल चौक पर मानव श्रृंखला में उपस्थित चैम्बर के पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण

कारगिल चौक पर मानव श्रृंखला में उपस्थित चैम्बर के पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण

पीएमसीएच के पास मानव श्रृंखला में खड़े बिहार कैमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट एसोसियेशन के सदस्यगण

जीरो माइल पर श्रृंखला में खड़े मार्वल, टाइल्स, ग्रेनाइट व्यवसायी कल्याण समिति के सदस्यगण

न्यू मार्केट में मानव श्रृंखला मे उपस्थित न्यू मार्केट दुकानदार कल्याण समिति के सदस्यगण

पटना मार्केट के पास मानव श्रृंखला में उपस्थित पटना ऑप्टीशियन एसोसियेशन के सदस्यगण

चौक पटना सिटी में मानव मानव श्रृंखला में उपस्थित पटना सिटी व्यापार मंडल के सदस्यगण

गाय घाट पर मानव श्रृंखला में खड़े चैम्बर सदस्य KL7 होटल एण्ड वैंक्वेट्स के सदस्यगण

पहाड़ी के पास श्रृंखला में खड़े बिहार ट्रांसपोर्ट एसोसियेशन के सदस्यगण

बैंक-दुकानदार सिक्के लेने से इन्कार करें, तो करें शिकायत

बैंकों के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक करते प्रमंडलीय आयुक्त एस. के. अग्रवाल (बाँयें) एवं चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल (दाँये से दूसरे)।

प्रमंडलीय आयुक्त एस. के. अग्रवाल ने भारतीय रिजर्व बैंक की पटना शाखा सहित सभी राष्ट्रीयकृत निजी बैंकों को 1, 2, 5 व 10 के सभी प्रकार के नये और पुराने सिक्के स्वीकार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि ग्राहकों की ओर से लाये गये सिक्कों को हर परिस्थिति में बैंकों को स्वीकार करना होगा। अगर कोई भी बैंक, ग्राहक या दुकानदार सिक्का लेने से मनाही करता है तो इसकी शिकायत पटना शाखा स्थित रिजर्व बैंक की बैंकिंग लोकपाल बृजराज से की जा सकती है। बैंकों द्वारा सिक्के नहीं लेने की शिकायत पर दिनांक 20 जनवरी 2020 सोमवार को सभी बैंकों के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की।

बैठक में आरबीआइ की उप महाप्रबंधक दीप्ती बृजराज, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल, अग्रणी जिला प्रबंधक डॉ संधीर कुमार, एसबीआइ के अंचल प्रबंधक संजय कुमार श्रीवास्तव, क्षेत्रीय विकास

पदाधिकारी सर्व नारायण यादव सहित निजी बैंकों व ग्रामीण बैंकों के अधिकारी उपस्थित थे।

ग्रामीण बैंक की शाखाओं में भी कराएँ वितरण : बैठक में आरबीआइ, पटना शाखा की उप महाप्रबंधक दीप्ती बृजराज ने स्पष्ट कहा कि 1, 2, 5 व 10 के सभी नये व पुराने सिक्के वैध हैं। ये लीगल टेंडर हैं। प्रमंडलीय आयुक्त ने निर्देश दिया कि इन सिक्कों को ग्रामीण क्षेत्रों में भी परिचालन में लाने के लिए ग्रामीण बैंक के शाखाओं की ओर से वितरण कराया जाये। इन सिक्कों को स्वीकार करने की जिम्मेदारी ग्राहकों व दुकानदारों की भी है।

आयुक्त ने बैठक में आइसीआइसीआइ व एचडीएफसी बैंकों के उच्चाधिकारियों को निर्देश दिया कि अधिक-से-अधिक 1, 2, 5 व 10 के सिक्के का परिचालन कराएँ और सिक्कों को भी सहज स्वीकार करें।

(साभार : प्रभात खबर, 21.1.2020)

जल-जीवन-हरियाली अभियान के संबंध में प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन की बैठक में चैम्बर प्रतिनिधिमंडल सम्मिलित हुआ

बैठक में उपस्थित श्री दीपक कुमार सिंह, प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन एवं विभागीय अधिकारीगण (दाँयें) एवं बाँयें से क्रमशः श्री आलोक पोद्दार, श्री राजेश अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

दिनांक 21 जनवरी 2020 को बिहार सरकार के 'जल-जीवन-हरियाली' अभियान के अंतर्गत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर बृक्षारोपण के विषय पर विचार-विमर्श हेतु एक बैठक श्री दीपक कुमार सिंह,भा.प्र.से., प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अध्यक्षता में मुख्य सचिवालय के सभा कक्ष में हुई।

इस बैठक में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल के साथ-साथ चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन.के.ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, कार्यकारिणी सदस्य श्री आलोक पोद्दार एवं श्री राजेश अग्रवाल भी सम्मिलित थे।

चैम्बर अध्यक्ष ने भी इस बैठक में अपने विचार रखे।

आयकर विभाग द्वारा चैम्बर प्रांगण में आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन

बैठक में स्वागत संबोधन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। उनकी बाँयी ओर प्रधान आयकर आयुक्त श्री डी. एस. बेनुपानी एवं आयकर आयुक्त श्री आर. बी. मिश्रा। दाँयीं ओर क्रमश उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, पूर्व अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह एवं श्री ओम प्रकाश टीबड़ेवाल।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 24 जनवरी 2020 को आयकर विभाग की ओर से एक आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया गया जिसमें आयकर विभाग के पदाधिकारियों द्वारा आयकर दाताओं को कई प्रकार की जानकारी दी गई। साथ ही उद्यमियों एवं व्यवसायियों ने भी आयकर विभाग से संबंधित समस्याओं एवं आयकर दाताओं को और सुविधा प्रदान करने के लिए सुझाव दिया।

चैम्बर अध्यक्ष पी० के० अग्रवाल ने अपने स्वागत उद्बोधन में आयकर विभाग द्वारा चैम्बर प्रांगण में आउटरीच प्रोग्राम के आयोजन हेतु आयकर विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया । उन्होंने बताया कि आज आयकर विभाग के द्वारा बिहार एवं झारखंड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन विभिन्न स्थानों पर किया गया है। पटना में चूंकि आयकर विभाग का मुख्यालय है एवं प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, बिहार एवं झारखंड दोनों राज्य

प्रधान आयकर आयुक्त श्री डी. एस बेनुपानी को पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल

आयकर आयुक्त श्री आर. बी. मिश्रा. को पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

संयुक्त आयकर आयुक्त श्री सुमित राय को पुष्प गुच्छ भेंटकर स्वागत करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन

संयुक्त आयकर आयुक्त श्री रोहित राज को पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत करते चैम्बर महामंत्री श्री अमित मुखर्जी।

बैठक को संबोधित करते प्रधान आयकर आयुक्त श्री डी. एस. बेनुपानी।

के हैं इसलिए आउटरीच कार्यक्रम का मुख्य समारोह बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में हो रहा है। श्री अग्रवाल ने बताया कि आज के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य –

- सालाना वास्तविक वार्षिक आय पर सही रूप से अग्रिम टैक्स का भुगतान सुनिश्चित कराना।
- आगामी वित्तीय वर्ष के लिए स्व कर निर्धारण के बदले वर्तमान वित्तीय वर्ष में अग्रिम कर का भुगतान करना।
- बकाया कर एवं करेंट डिमांड का वगैर किसी बिलम्ब के भुगतान करने का अनुरोध।
- ई-प्रोसिडिंग एवं उससे संबंधित स्पष्टीकरण के मामले पर विचार।
- आयकरदाताओं के सभी लंबित मामले एवं उनके शिकायतों को आमंत्रित कर उसका निवारण करना ।
- आयकरदाताओं को प्रोत्साहित करना कि वे अपने वास्तविक आय पर कर का भुगतान करें, न तो एक पैसा कम और ना ही एक पैसा अधिक।

इस अवसर पर प्रधान आयकर आयुक्त डी० एस० बेनुपानी ने बताया कि आयकर दाताओं की सुविधा हेतु आयकर में बड़े पैमाने पर परिवर्तन किया जा रहा जिसके कारण काम में काफी तेजी आयी है। सभी कार्य डाटा बेस पर हो रहा है। हमारा उद्देश्य है कि विभाग पारदर्शी, जवाबदेह एवं भ्रष्टाचार मुक्त हो जिससे कि राष्ट्र निर्माण के कार्य में हम अधिकाधिक योगदान दे सकें। इसके लिए उन्होंने सभी कर दाताओं से अपील की कि स्वत: वास्तविक आय पर सही टैक्स का भुगतान करें। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की समस्या आने पर मेरे मोबाईल नं० 7588182220 पर संपर्क करें।

आयुक्त आर० बी० मिश्रा ने बताया कि टीडीएस के अधिकतर मामले ऐसे हैं जिसमें कटौती की गयी एवं उसका भुगतान भी किया गया लेकिन रिटर्न फाइल नहीं होने के कारण लोकेट नहीं हो पाया। इसलिए उन्होंने अनुरोध किया कि टीडीएस की कटौती करें, भुगतान करें तथा उसका रिटर्न भी अवश्य फाइल करें।

इस अवसर पर आयकर विभाग की ओर से प्रधान आयकर आयुक्त डी० एस० बेनुपानी, आयुक्त आर० बी० मिश्रा, संयुक्त आयकर आयुक्त सुमित राय एवं रोहित राज के साथ-साथ अन्य वरीय पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

इस कार्यक्रम में काफी संख्या में राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों के साथ-साथ विभिन्न व्यवसायिक संगठनों तथा प्रोफेशनल, संगठनों यथा – बिहार केमिस्टस एंड ड्रगिस्टस एसोसिएशन, पटना केमिस्टस एंड ड्रगिस्टस एसोसिएशन, फर्मा डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन, बिहार इलेक्ट्रीक ट्रेडर्स एसोसिएशन, पाटलिपुत्र सराफा संघ, पटना स्कूटर ट्रेडर्स एसोसिएशन, मार्बल टाईल्स एण्ड ग्रेनाइट व्यवसायी कल्याण समिति, हथुआ मार्केट दुकानदार कल्याण समिति, इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऑफ इंडिया पटना चैपटर, बिहार पेपर मर्चेन्ट एसोसिएशन, बिहार ट्रान्सपोर्ट एसोसिएशन, पटना सिटी व्यापार मंडल, हाजीपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लखीसराय चैम्बर ऑफ कॉमर्स आदि के

प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में भाग लिया एवं आयकर संबंधी समस्याओं से आयकर अधिकारियों को अवगत कराया।

कार्यक्रम में अध्यक्ष पी० के० अग्रवाल के अतिरिक्त उपाध्यक्ष मुकेश कुमार जैन, महामंत्री अमित मुखर्जी, पूर्व अध्यक्ष ओ० पी० साह, वरीय सदस्य पी० के० सिंह, प्रदीप चौरसिया, सुभाष कुमार पटवारी, राजेश खेतान, सुनिल सराफ, आशीष अग्रवाल, आलोक पोद्दार, पशुपति नाथ पाण्डेय, जी० पी० सिंह, बिनोद कुमार, साथ-साथ काफी संख्या में उद्यमियों एवं व्यवसायियों ने भाग लिया। धन्यवाद ज्ञापन चैम्बर के महामंत्री श्री अमित मुखर्जी ने किया।

उद्योग में मंदी, लोगों तक पैसा पहुँचाने की जरूरत

वर्तमान में लोगों के पास पैसा नहीं है। लोग खरीदारी करने से बच रहे हैं, जिससे उद्योग को मंदी का सामना करना पड़ रहा है। उद्योग को बाजार चाहिए ताकि माल बिक सके। यह तभी संभव है जब लोगों के पास पैसा होगा। पैसे के अभाव में ही खरीदारी नहीं हो पा रही है। उक्त बातें बिहार चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने दैनिक जागरण से विशेष बातचीत में कहीं।

सुनिये वित्त मंत्री जी!

टैक्स में कमी करे सरकार : उनका कहना है कि सरकार को टैक्स में कमी करने की जरूरत है, ताकि लोगों की बचत बढ़े और वह खरीदारी के लिए आगे आएँ। साथ ही सरकार को ऐसे कदम उठाने की जरूरत है, जिससे लोग बचत करने के लिए प्रोत्साहित हों।

"छोटे उद्योगों को निर्यात के लिए मिले प्रोत्साहन : छोटे उद्योगों को निर्यात के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है। छोटे-छोटे उत्पादों को निर्यात के लिए प्रोत्साहन मिलेगा तो राज्य में बेहतर माहौल बनेगा। इससे उद्यमियों का मनोबल बढ़ेगा।" **– पी. के. अग्रवाल**

रोजगार सृजन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता : देश में रोजगार सृजन पर जोर देने की जरूरत है। इसके लिए मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने की पहल करनी होगी। उद्योग के अनुकूल माहौल होने पर ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बेरोजगारी की समस्या दिनोंदिन गंभीर होती जा रही है। बेरोजगारी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बेरोजगारी केन्द्र सरकार के लिए एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। निर्माण क्षेत्र पर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। निर्माण क्षेत्र में भी रोजगार के काफी अवसर विकसित होते हैं। **(साभार : दैनिक जागरण, 19.1.2020)**

प्लाईवुड़ विनीयर व फर्निचर उद्यामियों ने मुख्यमंत्री को दिया ज्ञापन

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने उद्यमी पंचायत के आयोजन के लिए सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह पहल अत्यन्त सामायिक, सकारात्मक एवं बहुउपयोगी है। इस प्रकार की बैठक उद्योग एवं व्यवसाय की समस्याओं को सरकार द्वारा पूरी तरह से समझने तथा उनके निदान तलाशने में महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। उद्यमी पंचायत के आयोजन से उद्यमियों एवं व्यवसायियों को सरकार के मुखिया के समक्ष सीधे अपनी समस्याएँ रखने एवं राज्य के आर्थिक तथा औद्योगिक विकास के संबंध में अपनी सोच सरकार तक पहुँचाने का अवसर प्राप्त होता है। चैम्बर की ओर से उद्यमी पंचायत में महामंत्री अमित मुखर्जी एवं कोषाध्यक्ष विशाल टेकरीवाल सम्मिलित हुए तथा एक विस्तृत ज्ञापन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समर्पित किया। ज्ञापन में इस उद्योग के विकास के सुझाव दिये गए हैं।

• बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अर्न्तगत वीनीयर या पेड़ से संबंधित शिल्पों को स्थान नहीं दिया गया है • पोपुलर एवं कदम इत्यादि पेड़ो की खेती से कृषकों की आमदनी बढ़ेगी साथ ही पर्यावरण पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा • बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अनुसार प्रदत्त सुविधा का लाभ उन्हें भी प्राप्त होगा। • पोपुलर, कदम एवं अन्य वैसे प्रजाति की लकड़ियों जिससे विनियर (कोर) तैयार होती है उन्हें कृषि ऊपज की श्रेणी में रखा जाय। **(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 31.12.2019)**

व्यापारियों को बकाया टैक्स में छूट

वाणिज्य कर विभाग ने राज्य के व्यापारियों को राहत देने के लिए बकाया टैक्स में 100% तक की छूट की घोषणा की है। इसके लिए वाणिज्य कर विभाग ने अलग-अलग योजना के तहत अलग-अलग छूट देने की घोषणा की है। यह छूट उन्हीं व्यापारियों को मिलेगी, जिनका बकाया 31.12.2019 के पूर्व का है। इस छूट को पाने लिए वाणिज्य कर विभाग ने व्यापारियों को 25 मार्च तक आवेदन देने का समय दिया है। 25 मार्च के बाद इस संबंध में कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके लिए वाणिज्य कर विभाग ने सूबे के सभी अंचल के प्रभारियों को निर्देश दे दिया है। जिन-जिन व्यापारियों का बकाया है उसे जल्द से जल्द सूचित करें और योजना की जानकारी दें ताकि अधिक से अधिक व्यापारी को इस योजना का लाभ मिल सके। यह भी कहा गया है कि अगर किसी व्यापारी को इस संबंध में विशेष जानकारी चाहिए तो वाणिज्य कर विभाग के मुख्यालय में किसी भी वरीय अधिकारी या वाणिज्य कर विभाग के किसी भी प्रमंडल के अपर आयुक्त (प्रशासन) से मिलकर जानकारी प्राप्त कर सकता है।

"व्यापारियों को राहत देने के लिए सरकार ओटीएस (वन टाइम सेटलमेंट स्कीम) योजना लाई है। व्यापारियों के लिए यह एक अच्छा मौका है। व्यापारियों को इसका लाभ जरूर लेना चाहिए।"

– सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 22.1.2020)

दवा व्यवसायियों की माँगों पर विचार करे सरकार : चैम्बर

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने कहा है कि बिहार केमिस्ट्स एण्ड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन द्वारा 22, 23 एवं 24 जनवरी को घोषित दवा दुकानों की बन्दी के प्रतिकूल प्रभावों को ध्यान में रखते हुए उनकी मांगों पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करे।

चैम्बर अध्यक्ष ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार से दवा व्यवसायियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आग्रह किया है ताकि जनहित में दवा दुकानदार अपनी तीन दिवसीय बन्दी को वापस ले सकें।

चैम्बर अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने कहा कि दवा का व्यवसाय आपात सेवा है और दवा व्यवसायी की सामाज में अहम भूमिका है। वे दिन-रात सुदूर इलाकों तक दवा पहुँचाने का कार्य करते हैं, जिससे कि लोगों को सहजता से दवा उपलब्ध हो सके और उनके अमूल्य जीवन की रक्षा हो सके।

उन्होंने कहा कि राज्य औषधि नियंत्रण प्रशासन द्वारा पूरे राज्य के खुदरा दवा व्यवसायियों को फार्मासिस्ट की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के नाम पर एवं दवा व्यवसायियों के छोटी-छोटी तकनीकी भूलों पर औषधि बिक्रेताओं को प्रशासन उत्पीड़न करता है। श्री अग्रवाल ने कहा कि जब तक राज्य में आवश्यकता के अनुरूप फर्मासिस्ट की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो जाती तब तक खुदरा दवा दुकानें जिन्हें पूर्व में अनुज्ञप्ति निर्गत की गई है, के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। **(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 22.1.2020)**

Government of Bihar
Department of Industries
RESOLUTION

Subject - Amendment In Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016

In the background of commitment to holistic and inclusive development of Bihar, State Government has implemented Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016 with effect from 01.02.2016.Prior to this, Industrial Incentive Policy, 2011 was in place from 01.07.2011 till 30.06.2016. In light of Clause 6,2.(d) of Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016 which refers to suitably modifying the Incentive provisions relating to VAT/CST/ET to conform to the GST system, once Government of India implemented GST, Clause 3 of Industrial Incentive Policy, 2011 which refers to tax related Incentives being offered in

accordance with GST consequent upon GST being implemented, and suggestions received from Commerce and Industry Associations, following amendments are made in the Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016:-

I. Sub-clause (d) of Clause-6.2,: Tax related incentive of Bihar Industrial Incentive Promotion Polity, 2016 is substituted as below and Sub-clause (e) is deleted:

(d)(1) All eligible units will be provided 80* reimbursement (100% in case of units in High-Priority Sector) against the SGST deposited in the account of the State Government from the Electronic Cash Ledger after adjustment of IGST and SGST credit available In the Electronic Credit Ledger, from the date of implementation of GST i.e. 01.07.2017. This reimbusrsement will be provided to eligible units up to 5 years from the date of commercial production of the units. Department of Industries will reimburse computed SGST based on the report received from the Commercial Taxes Department. The said reimbursement will be given subject to the following conditions:-

(i) Claim for reimbursement will be made by the Units in prescribed format on quarterly basis by the end of the month immediately succeeding the quarter.

(ii) Tax amount paid by the eligible unit from Electronic Cash Ledger will be certified by Commerical Taxes Department on the basis of the statements fifed and the payment receipts.

(iii) At any stage after sale/ supply by the unit, in case of an inter-state supply of such goods (sale or inventory transfer) by a registered dealer, amount equivalent to SGST utilized in payment of IGST liability in relation to such inter-state supply would be recoverable from the unit and such recovery will be made through adjustment from the next installment of reimbursement if the unit is eligible for next installment of reimbursement. In case the unit is not eligible for next installment, the Promoters of the unit would be liable to deposit the said amount in the Government Treasury and in the event of default by the Promoters in depositing the amount, the said amount wilt be recoverable as dues of land revenue.

(iv) Units will first utilize the full amount of IGST and SGST credit lying in Electronic Credit Ledger for payment of SGST liability and the balance SGST liability will be paid through Electronic Cash Ledger. In case the available credit is not fully utilized, amount of such available and un-utilized credit will be deducted from the next reimbursable claim of the Unit, if the Unit is eligible for next installment of reimbursement. In case the Unit is not eligible for next installment of reimbursement, the Promoters of the unit would be liable to deposit the said amount In the Government Treasury and In the event of default by the Promoters In depositing the amount, the said amount wilt be recoverable as dues of land revenue.

(v) Calculation of reimbursable/adjustable/depositable amount as referred to in sub-clause (iii) and (iv) will be done by the Commercial Taxes Department based on the statements filed by the applicant unit and related dealers and the same will be Intimated to the Department of Industries and if required, recovery in such cases will be made by the Department of Industries.

Provided that other conditions of Clause 3.2.2 of Bihar Industrial investment Promotion Policy. 2016 for High Priority Sectors vide Notification No. 1937 dated 27.12.2017 will remain Intact; and

(2) For the purpose of certification of IGST and SGST credit utilized In discharging SGST liability as referred to in above mentioned sub-clause (1) and (2), confirmation of receipt of amount inherent In such credit, and computation of reimbursable claim of the Unit and procedure related to Its resources, guidelines may be Issued by the Commercial Taxes Department, from time to time.

(3) Industrial uints having production less than 25% of installed capacity shall not be eligible for SGST reimbursement

(e) Deleted

2. Following Clause 8(c) Is added after Clause 8(b) In the Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016 :-

"Clause 8(c)- Units under Industrial incentive Policy, 2011 will be reimbursed SGST exactly in the manner as stipulated under Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016. However, the period of reimbursement and the maximum limit of such reimbursement will continue to be as prescribed under Industrial Incentive Policy, 2011"

3. The words "Scheduled Nationalized Bank" mentioned In Clause 6.1(iii), 6.1(iv) and 6,2-3 (a) of the English edition of Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016 are substituted by the words "Scheduled Commercial Bank"

4. Consequent upon Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India exempting White category units falling under classified list of notified Industries from having to obtain Consent to operate (CTO), the words "industries under Green category exempted from obtaining CTO & CT£" In Clause 4.1.5.C of Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016, are substituted by the words "Industries under White category exempted from obtaining CTO & CTE".

5. The words "minimum 50% increase" mentioned in sub-clause a, b and c of Clause 6: Expansion/ Modernization/ Diversification of Annexure 1- Definitions of Bihar Industrial investment Promotion Policy, 2016 are substituted by the words "minimum 25% Increase".

6. Under Clause 6.1(vi) of Bihar Industrial investment Promotion Policy, 2016, maximum limit of land cost In the Approved project cost is increased from 10 percent to 20 percent.

7. Following sub-clause (xx) Is added after sub-clause (xix) of Clause 6.1 of Bihar industrial Investment Promotion Policy. 2016

"Clause 6.1(xx) - in order to promote setting up of new and renewable energy based units for catering to the captive energy requirement of the existing and new units, these will be considered as new projects under the Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016 and all incentives/ facilities will be provided to them accordingly."

8. Amendments in respect of tax related incentives will be effective from the date of GST implementation, i.e. 01.07.2017. Amendments other than tax related incentives will be applicable from the date of release of this resolution.

By the order of the Governor of Bihar

(Narmdeshwar Lal)
Secretary,
Department of Industries, Bihar, Patna

Memo No- 108/Patna, Dated - 20.1.2020
File No- 4/Teth./Incentivc Policy/38 / 2017

Copy to: The Suprintendent, State Printing Press, Gulzarbagh, Patna to publish in the special edition of Bihar Gazette. It is requested to print 1000 copies of the published gazette and make it available to the Department.

चैम्बर के आपत्ति पर श्रम संसाध्न विभाग ने अधिसूचना संख्या 992-993, 994-995, 996-997, 998-999, 1000-1001, 1002-1003 दिनांक 26-02-2019 का निरस्त किया

हमे सूचित करना है कि श्रम संसाधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 992-993, 994-995, 996-997, 998-999, 1000-1001, 1002-1003 दिनांक 26.02.2019 के माध्यम से किसी कोटी में पाँच या पाँच वर्षों से अधिक तक का कार्य अनुभव होने पर, कामगार को उस कोटि से तत्काल उपर की कोटि में उन्नयन कर उन्नत कोटि के न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने के प्रावधान को आवश्यक बनाया गया था।

उक्त निर्णय के आलोक में चैम्बर की ओर से श्रम संसाधन विभाग में अपनी आपत्ति दर्ज करते हुए लिखा था कि Minimum Wages Act - 1948 की धारा 27 के अन्तगर्त एक बार Minimum Wages Schedule में लेने के बाद फिर इसे नहीं बदला जा सकता है साथ ही इस आलोक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 2539/2010 (हिन्दुस्तान सेनेटिरीवेयर एवं

इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम हरियाण राज्य तथा सिविल अपील संख्या 4454/2019 (फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसियेशन बनाम हरियाण राज्य एवं अन्य) मामले में पारित न्यायादेश की प्रति भी विभाग को उपलब्ध कराया था।

पुन: श्रम संसाधन विभाग ने गजट अधिसूचना एस. ओ. 408 दिनांक 31 दिसम्बर 2019 जारी किया है जिसमें चैम्बर के आपत्ति को सही मानते हुए अधिसूचना संख्या 992-993, 994-995, 996-997, 998-999, 1000-1001, 1002-1003 दिनांक 26.02.2019 को निरस्त करते हुए लिखा है कि कामगारों को भुगतान की गई राशि की वसूली यद्यपि नहीं की जाएगी तथापि उनके पूर्व के पद पर (यदि उनके कोटि का उन्नयन किया गया हो) वापस (Restore) किया जा सकता है।

सदस्यों के अवलोकनार्थ श्रम संसाधन विभाग द्वारा जारी गजट अधिसूचना एस. ओ. 408 दिनांक 31 दिसम्बर 2019 की प्रति संलग्न की जा रही है।

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 पौष 1941 (श०)
(सं. पटना 1367) पटना, मंगलवार, 31 दिसम्बर 2019

श्रम संसाधन विभाग
अधिसूचना
20 दिसम्बर 2019

एस. ओ. 408, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 - न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत अधिसूचित नियोजनों में कार्य करने वाले श्रमिकों के न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण प्रत्येक वर्ष में दो बार किया जाता है। इसी क्रम में दिनांक- 01.04.2019 से प्रभावी होने वाले दरों के निर्धारण से संबंधित निर्गत अधिसूचना में श्रमिकों के प्रमाणिकरण, अनुभव एवं किसी अधिनियम/नियम के अन्तर्गत प्राप्त प्रशिक्षण के आधार पर उनके कोटि उन्नयन / अपग्रेडेशन एवं वर्गीकरण किए जाने का प्रावधान लागू किया गया था।

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या-2539/2010 हिन्दुस्तान सैनेटरीवेयर एवं इडस्ट्रीज लिमिटेड एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं सिविल अपील संख्या- 4454/2019 (एस. एल. पी. (सिविल) संख्या- 5832 /2018 से उद्भुत) फरीदावाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य मामले में न्यायादेश पारित किया गया है। पारित न्यायादेश के अनुसार "Categorization of unskilled employees as semi skilled and semi skilled as skilled on the basis of their experience is ultra virus"

3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्गत की गयी अधिसूचना के applicability के संबंध में विधि विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया। विधि विभाग के परामर्श के अनुसार categorization discrimination based on the experience or skills of the employees is not permissible in view of the judgment of the Hon'ble Supreme Court. The power vested in the Government is to fix/revise the minimum rate of wages without making alterations to the terms of the contract as per the Minimum Wages Act, 1948.

4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश एवं विधि विभाग के परामर्श के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या - 992- 993, 994-995, 996-997, 998-999, 1000-1001, 1002-1003 दिनांक - 26.2.2019 में श्रमिकों के प्रमाणिकरण, अनुभव एवं किसी अधिनियम / नियम के अन्तर्गत प्राप्त प्रशिक्षण के आधार पर उनके कोटि उन्नयन / अपग्रेडेशन एवं वर्गीकरण से संबंधित प्रावधान को निरस्त किया जाता है।

5. श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्गत किए गए उक्त अधिसूचना संख्या 992-993, 994-995, 996-997, 998-999, 1000-1001, 1002-1003 दिनांक - 26.02.2019 के आलोक में कामगारों को भुगतान की गई राशि की वसूली यद्यपि नहीं की जाएगी तथापि उनके पूर्व के पद पर (यदि उनके कोटि का उन्नयन किया. गया हो) वापस (Restore) किया जा सकता है।

(5/ एम. डब्लू. - 40-06/2015 श्र. सं.-5036
बिहार-राज्यपाल के आदेश से
मोहन रजक,
अवर सचिव।

आईएमएफ ने विकास का अनुमान 4.8 फीसदी किया

भारत समेत पूरी दुनिया में आर्थिक सुस्ती गहराने की आशंका

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने दिनांक 20.1.2020 को चालू वित्त वर्ष (2019-20) में भारत की विकास दर का अनुमान 1.3% घटाकर 4.8% कर दिया। इससे पहले अक्टूबर, 2019 में आईएमएफ ने 6.1 फीसदी जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया था।

इन एजेंसियों ने भी घटाया

संस्था	पिछला	नया अनुमान
संयुक्त राष्ट्र	7.6%	5.7%
एडीबी	6.5%	5.1%
आरबीआई	6.1%	5%
विश्व बैंक	6.0%	5%
मूडीज	5.8%	4.9%
फिच	5.6%	4.6%
एसबीआई	5.0%	4.6%

आईएमएफ ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल क्षेत्र (एनबीएफसी) के आर्थिक संकट व ग्रामीण आय में सुस्ती जैसी वजहों से अनुमान कम किया है। विश्व आर्थिक मंच के सालाना शिखर सम्मेलन के उद्घाटन से पहले मुद्राकोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलीना जॉर्जिवा ने कहा कि हमारा नीति निर्माताओं को बस यही सरल सा सुझाव है कि वे वह सब करते रहें जो परिणाम दे सके जिसे व्यवहार में लाया जा सके।

2020 और 2021 में सुधार की उम्मीद : आईएमएफ ने जहाँ चालू वित्त विर्ष का अनुमान घटाया है वही 2020 और 2021 में सुधार होने की उम्मीद जताई है। अगले दो वित्त वर्ष में यह सुधरकर क्रमश: 5.8% और 6.5% रह सकती है। हालांकि, इसके लिए जल्द से जल्द कदम उठाने पर जोर दिया है।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 21.1.2020)

बिहारी मूल के उद्यमियों को निवेश के लिए लीज पर जमीन देगी सरकार

सूरत, अहमदाबाद, पुणे व मुम्बई में बसे बिहार मूल के उद्यमी यहाँ उद्योग लगाना चाहते हैं, तो उद्योग विभाग उन्हें लीज पर जमीन मुहैया करा सकती है। इसके लिए उसने 2442 एकड़ का स्पेशल लैंड बैंक तैयार किया है। कुछ निवेशकों ने निवेश की संभावना के लिए फील्ड विजिट भी शुरू की है। इनमें कुछ ऐसे बाहरी निवेशक भी हैं जो दूसरे प्रांतों में बेहतर कार्य कर रहे है। बाहरी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए यह लैंड बैंक बंद हो चुकी चीनी मिलों की जमीन से बना है।

बिहार राज्य के चीनी निगम से प्राप्त भूमि या लैंड बैंक

नाम	कुल भूमि	नाम	कुल भूमि
लौहट (मधुबनी)	213	सीवान (सीवान)	32.58
हथुआ (गोपालगंज)	105.29	संकरी (मधुबनी)	49.99
बनमंखी (पूर्णिया)	118.55	सुगौली (पूर्वी चंपारण)	55.03
वारिसलीगंज (नवादा)	73.58	मोतीपुर (मुजफ्फरपुर)	897.40
गोरौल - (वैशाली)	54.41	बिहटा (पटना)	789.92
गुरारू - (गसर)	27.36	**कुल जमीन**	**2442 एकड़**
न्यू सावन (सीवान)	28.30		

कुल जमीन (एकड़ में)

लैंड बैंक पटना, गोपालगंज, पूर्णिया, नवादा, वैशाली, गया, सीवान, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, पूर्वी चंपारण जिलों में है।

यहाँ के निवेशकों ने इन सेक्टरों में दिखायी रुचि : • सूरत में बतौर उद्यमी स्थापित बिहार के उद्यमियों ने बिहार में खासतौर पर फूड प्रोसेसिंग मसलन फिशरीज, मखाना, एग फार्मिंग में रुचि दिखाई है। इसके अलावा हायड्रल प्राजेक्ट, टेक्सटाइल, पेपर मिल, गारमेंट, कैमिकल इंडस्ट्रीज में रुचि दिखाई है। जेम्स एंड ज्वेलर्स में यहाँ उत्पादन के इच्छुक दिखे हैं। • पूना में बसे बिहारी मूल के निवेशकों ने यहाँ फूड प्रोसेसिंग विशेष रूप से लीची- मैंगो, मखाना स्नेक्स तैयार करने में रुचि दिखाई है। • मुम्बई के बिहारी मूल और कुछ दूसरे निवेशकों ने लॉजिस्टिक पार्क एवं सिटी, ट्रेक्टर एंड ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माण, रिन्यूवल एनर्जी प्लांट में रुचि दिखाई है। निवेशकों के आकर्षण की वजह हाल ही में इन शहरों में निवेश के लिए किये गये रोड शो रहे हैं। बिहार के उद्योग मंत्री श्याम रजक और उनके अफसर अब गोवा और कोलकाता में बसे निवेशकों को आकर्षित करने जा रहे हैं। इसकी तैयारियाँ पूरी की जा चुकी है। **(साभार : प्रभात खबर, 15.1.2020)**

उद्यमी ले सकते हैं 15 लाख तक अनुदान

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम-विकास संस्थान, पटना के बैनर तले 10.1.2020 को क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्जिडी स्कीम पर कार्यशाला हुई। इसमें बताया गया कि इस योजना के तहत सूक्ष्म व लघु उद्योगों को विकास के लिए अधिकतम 15 लाख रुपये अनुदान और एक करोड़ रुपये तक का संस्थागत लोन देने का प्रावधान है। इसके तहत सिडबी व नाबार्ड के साथ कुल 11 संस्थान हैं, जिनसे उद्यमी अनुदान का लाभ ले सकते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम-विकास संस्थान, पटना के निदेशक विश्व मोहन झा ने की। सहायक प्रबंधक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक पूनम कुमारी व सहायक महाप्रबंधक, नाबार्ड सुशील कुमार सिंह ने योजना का लाभ प्राप्त करने के तरीकों के बारे में विस्तार से बताया। सहायक निदेशक रविकांत ने स्वागत भाषण में कार्यक्रम की रूपरेखा बतायी। **(साभार - हिन्दुस्तान, 11.1.2020)**

₹ 1589 करोड़ के निवेश से लगीं 205 औद्योगिक यूनिटें

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के बाद बिहार में इस साल 9 जनवरी तक पूरे प्रदेश में 1589 करोड़ का निवेश हो चुका है। इस निवेश से 208 औद्योगिक इकाइयाँ अस्तित्व में आयीं हैं। औद्योगिक निवेश के लिए जमीन की कभी को देखते हुए उद्योग विभाग ने चीनी मिलों की खाली पड़ी 2442 एकड़ जमीन बियाडा को सौंप दी है। उद्योग मंत्री श्याम रजक ने यह जानकारी दिनांक 10 जनवरी 2020 शुक्रवार को आयोजित औपचारिक संवाददाता सम्मेलन में साझा की। बताया कि बियाडा को डुमरांव, मोदीपुर, समस्तीपुर आदि सात स्थानों पर औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन दी है। स्टार्ट अप योजना के तहत प्रदेश में 11 हजार से अधिक आवेदनों में 100 स्टार्टअप यूनिटों को हरी झंडी दी गयी है। दलित उद्यमी योजना के तहत 3641 दलित उद्यमियों को अनुदान की दूसरी किस्त फरवरी में दी जायेगी। गया में प्रस्तावित खादी पार्क का नाम दशरथ मांझी पार्क रहेगा। अब गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं छपरा में खादी पार्क बनाये जायेंगे। बताया गया कि मुजफ्फरपुर में लेदर पार्क स्थापित किया जायेगा। लेदर पार्क के लिए दस एकड़ जमीन चिह्नित की गयी। **(साभार : प्रभात खबर, 11.1.2020)**

स्थानीय विक्रेताओं से भी खरीदे जाएँ सामान : उपमुख्य मंत्री

राज्य सरकार ने अगले तीन माह में जेम (गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस) पोर्टल से 300 करोड़ की खरीद का लक्ष्य रखा है। इससे वर्तमान वित्तीय वर्ष में एक हजार करोड़ की खरीद का लक्ष्य पूरा होगा। अबतक जेम पोर्टल पर 704.31 करोड़ की खरीद के साथ बिहार पूरे देश में चौथे स्थान पर है। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने गुरुवार दिनांक 9.1.2020 को अधिवेशन भवन में वित्त विभाग की ओर से आयोजित 'जेम संवाद' का उद्घाटन करने के बाद ये बातें कही।

श्री मोदी ने जेम पोर्टल के अधिकारियों से आग्रह किया कि स्थानीय विक्रेताओं, एमएसएमई, एससी/ एसटी, महिलाओं को प्रोत्साहित करने के साथ स्वयं सहायता समूह, लोक कलाकारों, राज्य सरकार के इम्पोरियम आदि से भी खरीद की व्यवस्था तथा निजी प्रतिष्ठानों को भी इसके जरिए थोक खरीद की सुविधा मिलनी चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि अब कोई भी खरीदारी राज्य जेम पोर्टल पुल खाते (एसजीपीए) में राशि जमा करने के बाद ही की जाएगी, ताकि भुगतान में परेशानी नहीं हो। अगले वर्ष जेम से खरीद का विस्तार जिला स्तर तक किया जाएगा। जेम पोर्टल पर बिहार के 3,871 बिक्रेता व सेवा प्रदाता निबंधित हैं जिनसे 156 करोड़ की खरीद की गयी है। शेष की खरीद बिहार के बाहर के आपूर्तिकर्ताओं से की गयी। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 10.1.2020)**

कारोबारियों के लिए निजी ई- स्टोर : कैट

व्यापारियों के प्रमुख संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने कहा है कि उसने परीक्षण आधार पर मध्य प्रदेश में व्यापारियों के लिए व्यक्तिगत ई-स्टोर बनाने का पूरा कर लिया है। जल्द इसे राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया जाएगा। कैट के महासचिव प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि वे ई-कॉमर्स के खिलाफ नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कैट उन कंपनियों का विरोध कर रहा है जो सरकार की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति का अपने लाभ के लिए उल्लंघन कर रही हैं।

उन्होंने कहा, 'हम ई-कॉमर्स के खिलाफ नहीं हैं। हमारा मानना है कि ई-कॉमर्स तेजी से बढ़ता भविष्य का कारोबारी मॉडल है। हम व्यापारिक समुदाय के ई-कॉमर्स के साथ तालमेल को देश के प्रत्येक व्यापारी के लिए व्यक्तिगत ई-स्टोर बना रहे है।' उन्होंने कहा कि इस परियोजना की परीक्षण प्रक्रिया मध्य प्रदेश में पूरी हो गई है। इसे जल्दी राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया जाएगा।

(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 17.1.2020)

ब्यूटीशियन, प्लंबर और फिटनेस ट्रेनर को भी कराना पड़ सकता है जीएसटीएन रजिस्ट्रेशन

जल्द ही ब्यूटीशियन, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर या फिटनेस ट्रेनर जैसे सर्विस प्रोफेशनल्स को भी जीएसटी नेटवर्क में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ सकता है। सरकार इस बारे में विचार कर रही है। माना जा रहा है कि यह अनौपचारिक सेक्टर के कर्मचारियों को औपचारिक वर्कफोर्स में शामिल करने का नया उपाय हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल टेड (डीपीआईआईटी) अर्बनक्लैप, हाउसजॉय और ब्रो4यू जैसे ऑनलाइन मार्केटप्लेस के लिए यह अनिवार्य करने जा रहा है कि वे सिर्फ जीएसटी नंबर वाले प्रोफेशनल्स को अपने यहाँ काम दे सकें।

क्या कहते हैं आकड़े : 50 करोड़ है देश के कुल वर्कफोर्स की आबादी ख 50 लाख से 1 करोड़ लोग हर साल जुड़ रहे ख 45 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं ख 5 करोड़ वर्क फोर्स ही वर्तमान में संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं

कैसे मिलेगी मदद : • वेज कोड के तहत लाभ पाने चालों की पहचान मुमकिन होगी • सामाजिक सुरक्षा कोड के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर • सरकार के पास प्रमाणिक डेटा होगा, यह नीति को प्रभावी तरीके से लागू करने में मददगार होगा। **(विस्तृत : दैनिक भास्कार, 21.1.2020)**

करदाताओं को संवाद में डीआईएन जिक्र अनिवार्य

सीमा शुल्क विभाग ने ई-मेल सहित सभी संवादों में डॉक्यूमेंट आइडेंटीफिकेशन नंबर (डीआईएन) का जिक्र करना अनिवार्य कर दिया है। विभाग ने कर प्रशासन में पारदर्शिता लाने के मकसद से यह कदम उठाया है। नवम्बर के शुरू में डीआईएन प्रणाली केवल अधिकरण, समन, अरेस्ट मेमो, निरीक्षण नोटिस और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा भेजे जाने वाले पत्रों के लिए अनिवार्य की गई थी। सीबीआईसी द्वारा हाल में जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि देश भर में सीबीआईसी कार्यालय द्वारा करदाताओं एवं संबंधित व्यक्तियों को भेजे जाने वाले संवाद में डीआईएन का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। **(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 30.12.2019)**

आयकर छूट के लिए बजट पर निगाहें

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को बजट पेश करेंगी, उपभोक्ता मांग बढ़ाने का होगा दबाव

आयकर में राहत पाने के लिए आम करदाता की नजरें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के दूसरे आम बजट पर लगी हैं। लेकिन आर्थिक क्षेत्र में छाई सुस्ती और कंपनी कर में की गई भारी कटौती को देखते हुए आयकर में कोई बड़ी राहत देना उनेक लिए कड़ी चुनौती हो सकती है। हालांकि, उपभोक्ता मांग बढाने के लिए आयकर छूट में कटौती की उम्मीद की जा रही है।

वित्त मंत्री एक फरवरी को वित्त वर्ष 2020-21 का आम बजट पेश करेंगी। कमजोर चाल से चल रही अर्थव्यवस्था में उपभोग में आती गिरावट, राजस्व संग्रह में सुस्ती के कारण बजट में तय राजस्व लक्ष्यों को हासिल करना वित्त मंत्री के समक्ष बड़ी चुनौती खड़ी कर रहा है। आम नौकरीपेशा और सामान्य करदाता इन सब बातों को दरकिनार करते हुए मोदी सरकार की दूसरी पारी में कर दरों में राहत की उम्मीद लगाए बैठा है। विशेषज्ञों का मानना है कि वित्त मंत्री को आयकर स्लैब में बदलाव करना चाहिए। पिछले कई सालों से इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

सरकार ने हालांकि, आम नौकरीपेशा लोगों की पाँच लाख रुपये तक की कर योग्य आय को पहले ही करमुक्त कर दिया है। लेकिन कर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया। मौजूदा स्लैब के मुताबिक ढाई लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं है जबकि 2.50 लाख से पाँच लाख पर पाँच प्रतिशत, पाँच से 10 लाख रुपये की वार्षिक आय पर 20 प्रतिशत कर है। **(विस्तृतः हिन्दुस्तान, 2.1.2020)**

जीएसटी संग्रह एक लाख करोड़ के पार

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह लगातार दूसरे महीने एक लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है।

सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक दिसम्बर माह में जीएसटी संग्रह 1.03 लाख करोड़ रुपये रहा। एक साल पहले इसी महीने जीएसटी संग्रह 97,276 करोड़ रुपये था जबकि पिछले महीने (नवम्बर 2019) में यह आंकड़ा 1,03,492 करोड़ रुपये रहा था। इस बार दिसम्बर में कुल 1,03,184 करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह हुआ। इसमें केन्द्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) से वसूली 19,962 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) से वसूली 26,792 करोड़ रुपये, एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) से 48,099 करोड़ रुपये और उपकर से वसूली 8,331 करोड़ रुपये रही।

एकीकृत जीएसटी में 21,295 करोड़ रुपये आयात से वसूली हुई। इसी प्रकार, उपकर की वसूली में 847 करोड़ रुपये आयातित माल पर उपकर से मिले। जीएसटी दरों में सितम्बर में की गई कटौती का लाभ अब जीएसटी संग्रह में दिखने लगा है। वित्त मंत्री सीतारमण ने सितम्बर में कंपनियों के लिए कर में बड़ी कटौती की घोषणा कर सभी को हैरान कर दिया था।

(साभार : हिन्दुस्तान, 2.1.2020)

तीन पावर सब स्टेशन लगाने पर लगा ग्रहण

• अब तक चिह्नित नहीं की गई सब स्टेशन के लिए जमीन • लक्ष्य से पीछे चल रही बिजली कंपनी

पटना में बेहतर और निर्बाध तरीके से बिजली सप्लाई के लिए 62 पावर सब स्टेशन लगाने का लक्ष्य है। मार्च, 2020 तक यह लक्ष्य पूरा किया जाना है। केन्द्र सरकार के द्वारा प्रायोजित स्कीम इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम (आईपीडीएस) के तहत इस योजना को शुरू किया गया था। इसके लिए पूरी राशि मिल भी गई, बिहार सरकार को। लेकिन समस्या है कि पटना में तीन पावर सब स्टेशन के लिए जमीन तय नहीं हो सका है। जबकि एक पांवर सब स्टेशन को तैयार करने में कम से कम दो महीने से अधिक का समय लगता है। यानि जिस योजना के तहत इस प्रोजेक्ट को पूरा होना है वह पूरा नहीं होने की स्थिति में, इसकी राशि लौटानी पड़ेगी। उधर, पेसू के सूत्रों का सिर्फ यह कहना है कि इसके लिए अभी प्रयास चल रहा है।

क्वालिटी बिजली पर असर : आईपीडीएस योजना के तहत पूरे शहर को बिजली मुहैया कराने का लक्ष्य है। इसके लिए पावर की कमी होने की स्थिति में क्वालिटी बिजली पर असर पड़ सकता है। खास तौर पर उन इलाकों में इसका असर पड़ सकता है जो नई कॉलोनियाँ हैं। जैसे दानापुर-सगुना मोड़ के बीच की कॉलोनियाँ।

ये पावर सब स्टेशन हुए चालू : • रेडिएंड पावर सब स्टेशन • ऊर्जा भवन पावर सब स्टेशन • न्यू बोर्ड कॉलोनी पावर सब स्टेशन • दीघा पावर सब स्टेशन • बेऊर पावर सब स्टेशन • आरके नगर, पावर सब स्टेशन • खेमनीचक पावर सब स्टेशन

ये पावर सब स्टेशन होंगे चालू : • आशोपुर पावर सब स्टेशन • एशियन लीड्स नहर पावर सब स्टेशन • गर्दनीबाग पावर सब स्टेशन • पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स • गुरु गोविंद सिंह पावर सब स्टेशन • करबिगहिया पावर सब स्टेशन • राज कन्या विद्यालय, गाय घाट सब स्टेशन

यहाँ अब काम शुरू : • भुसौला पावर सब स्टेशन • मथियापुर पावर सब स्टेशन

यहाँ नहीं मिल रही जमीन : • गोलघर के पास • आशियाना-दीघा के पास और • परसा बाजार **(विस्तृत : आईनेक्स्ट, 20.1.2020)**

ROAD CLEAR FOR WIDENING OF NH- 80

ACCORDING TO OFFICIALS, FREQUENT TRAFFIC JAM ON NARROW HIGHWAY IS A MAJOR SOURCE OF INCONVENIENCE

Total 96 kilometre stretch of Mokama- Farakka national highway (NH-80), passing through the state, would be widened and strengthened. The two - lane NH-80 passing through Munger is one of the busiest highway of the region.

The stretch of the highway in-between Ghorghat in Munger district and Mirzachowki in Sahebganj district of Jharkhand has been identified for widening and strengthening.

(Detail : Hindustan Times, 8.1.2020)

SECOND BRIDGE OVER GANGA AT BHAGALPUR TO COST ₹ 1, 781 CRORE

The proposed bridge would link NH 80 and NH 31 • 4,367 metres Length of the bridge • 11kms Total length of approach roads from both sides • 1km Length of approach road from southern side • 10 kms Length of approach road from northern side

The proposed second bridge over river Ganga in Bhagalpur would cost around Rs 1, 781 crore, according to the detailed project report (DPR) which was recently submitted to union ministry of road transport and high ways for approval.

(Detail : Hindustan Times, 14.1.2020)

फास्टैग में अधिक पैसे कटने पर 1033 पर करें शिकायत

फोरलेन पर टोल से गुजरने पर अधिक पैसे कट जाएँ, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी भी टोल प्लाजा पर इसके बारे में शिकायत की जा सकती है। इसके अलावा 1033 पर कॉल करके जानकारी दी जा सकती है। जानकारी में वाहन का नंबर, फास्टैग लेने वाले बैंक या टोल की लोकेशन बतानी होगी। बाद में फास्टैग को रीड करने के बाद अतिरिक्त ली गयी राशि संबंधित व्यक्ति के बैंक एकांउट में वापस हो जायेगी।

छूट की सुविधा नहीं मिली : पटना-बख्तियारपुर एनएच 30 फोरलेन पर दीदारगंज के समीप टोल पर अधिक राशि लेने की शिकायत मिली है। 24 घंटे के अंदर अप-डाउन करने पर कुल राशि का 75% लेने का प्रावधान है। फास्टैग की प्रोग्रामिंग में भी यह सुविधा उपलब्ध है। इसके बावजूद 24 घंटे के अंदर दीदारगंज टोल से गुजरने व वापस आने के दौरान पूरी राशि फास्टैग से काट ली गयी। वाहन मालिक को मैसेज आने पर देखा गया कि 24 घंटे के अंदर मिलनेवाली छूट की सुविधा नहीं दी गयी है। एनएचएआइ के आधिकारिक सूत्र ने बताया कि टोल पर से गुजरने में ऑफलाइन में पहले से जो सुविधा मिल रही है, वही सुविधा ऑनलाइन में दी गयी है। यानी फास्टैग लेने पर भी वही सुविधा मिलेगी। राज्य में सभी टोल पर अब एक-एक लेन कैश की सुविधा के लिए है। बाकी लेन से फास्टैग वाले वाहन के गुजरने की व्यवस्था है।

(साभार : प्रभात खबर, 16.1.2020)

स्मार्ट मीटर लगने के बाद घटानी होगी बिजली दर

डिस्कॉम घटती लागत का फायदा ग्राहकों को भी देंगे : आर. के. सिंह

देशभर में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया जल्द ही युद्ध स्तर पर शुरू की जाएगी। इसके प्रति ग्राहकों के रुझान को बढ़ाने के लिए केन्द्र ने राज्यों से कहा है कि वे स्मार्ट मीटर लगाने वाले ग्राहकों के लिए मौजूदा दर से कम पर बिजली मुहैया कराने की व्यवस्था करें। इस बारे में केन्द्रीय बिजली मंत्रालय ने एक आदेश भी जारी कर दिया है। इस आदेश में राज्यों से कहा गया है कि चूँकि स्मार्ट मीटर लगने के बाद राज्य बिजली वितरण कंपनियों की बिजली बिल कलेक्शन से जुड़ी लागत में काफी कमी आएगी, इसलिए इसका फायदा ग्राहकों को भी मिलना चाहिए। बिजली मंत्रालय का अनुमान है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद ग्राहकों के बिजली बिल में कम से कम औसतन 10 फीसद तक की कमी आ सकती है। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 18.1.2020)**

टोल प्लाजा : कैशलेन से 24 घंटे में वापसी पर अब शुल्क में छूट नहीं

टोल प्लाजा पर 24 घंटे में वापसी करने वाले वाहनों के परिचालन में लगने वाले टैक्स के नकद भुगतान पर अब किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। दीदारगंज टोल प्लाजा के मैनेजर संजीव कुमार सिंह ने बताया कि जिन वाहन मालिकों ने अपने वाहनों पर फास्टैग नहीं लगा रखा है, वैसे वाहन मालिक अपने वाहन पर तुरंत फास्टैग लगवा लें।

सरकार ने कैशलेन में वाहनों को मिलनेवाली छूट को समाप्त कर दिया है, जिसे दिनांक 17 जनवरी 2020 से ही लागू कर दिया गया है। बता दें कि अथॉरिटी ने एनएचएआई के 65 टोल प्लाजा पर नियमों में 30 दिन की छूट दी है। इन सभी टोल प्लाजा पर 25 फीसदी फास्टैग लेन को 30 दिन के लिए हाइब्रिड लेन में बदलने की छूट दी गई है। इसके तहत इन लेनों में फास्टैग और नगद भुगतान वाले वाहन जा सकते हैं, जिसे 14 फरवरी को समाप्त कर दिया जाएगा। **(साभार : हिन्दुस्तान, 18.1.2020)**

इलेक्ट्रॉनिक कचरा निपटारे को शहरों में केन्द्र बने : मोदी

जरूरत : • सभी बड़े शहरों में ई-वेस्ट संग्रह केन्द्र खोलने को बाध्य हों कंपनियाँ • कचरा डिस्चार्ज की मात्रा, स्थल की उपलब्धता पर गाइड लाइन बने

उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निष्पादन के लिए कंपनियाँ सभी राज्यों के बड़े शहरों में ई-वेस्ट संग्रह केन्द्र स्थापित करने के लिए बाध्य हों। उन्होंने यह माँग दिनांक 16 जनवरी 2020 को प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर की।

उन्होंने माना कि ठोस कचरा प्रबंधन की दिशा में घर-घर से कचरा संग्रह के बावजूद सूखे-गीले कचरे को अलग करना और उसकी प्रोसेसिंग एक बड़ी चुनौती है। कहा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सख्ती से बिहार में आधे से अधिक अस्पताल बायो मेडिकल कचरे का निष्पादन कर रहे हैं। कहा कि कचरा डिस्चार्ज की मात्रा, स्थल की उपलब्धता के अनुरूष मॉडल गाइड लाइन बनाने की जरूरत है। कहा कि पूरे देश में एक साथ सिंगल यूज प्लास्टिक व 50 माइक्रोन से कम के कैरी बैग के निर्माण, आयात व उपयोग प्रतिबंधित हो तो सार्थक परिणाम आ सकते हैं। **(साभार : हिन्दुस्तान, 17.1.2020)**

गंगा पर इस साल चार बडे पुलों का निर्माण शुरू होगा

इस साल गंगा नदी पर चार लेन वाले चार नए पुलों का निर्माण शुरू हो जाएगा। सबसे पहले गाँधी सेतु के समानांतर पुल बनने की शुरूआत होगी। फरवरी तक इसका निर्माण शुरू हो जाएगा। इसके बाद बिक्रमशिला सेतु के समानांतर पुल पर काम शुरू होगा। अगस्त तक पटना में ही गंगा पर दो और पुल के निर्माण की शुरूआत होगी। एक जेपी सेतु के समानांतर तो दूसरा शेरपुर-दिघवारा के बीच का पुल होगा।

ये होगा लाभ : • उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार की संपर्कता और सुगम होगी • राजधानीवासियों को भी जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी • राजधानी पटना का गंगा नदी के उत्तर में होगा विस्तार • नए इलाकों में आधारभूत संरचनाओं का होगा निर्माण

"गंगा नदी पर चार नए चार लेन के पुल बनाए जाने हैं। इस साल चारों पर काम शुरू हो जाएगा। शुरुआत गाँधी सेतु के समानांतर पुल से होगी। विभागीय स्तर पर इसकी तैयारी हो चुकी है।"

– अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 5.1.2020)

रो-रो सेवा से मोकामा में गंगा पार करेंगे मालवाहक

रेलवे के रोल ऑन रोल ऑफ यानी रो-रो सेवा के जरिये ट्रक समेत अन्य मालवाहक वाहन राजेन्द्र सेतु से आर-पार होंगे। रेलवे फरवरी से इस सेवा की शुरूआत कर सकता है। पटना में परिवहन विभाग, पूर्व मध्य रेलवे तथा बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन के अधिकारियों की बैठक में उक्त आशय का निर्णय लिया गया। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 3.1.2020)**

तीन माह में चालू हो जाएगा फ्रेट कॉरिडोर

गया-मुगल सराय रेल खंड पर तीन माह में चालू हो जाएगा फ्रेट कॉरिडोर। इसे लेकर फ्रेड कॉरिडोर के निर्माण कर रही कम्पनी डीएफसीसी ने वरीय अधिकारियो के निर्देश पर युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है।

पहले दुर्गावती से सोननगर तक फ्रेट कॉरिडोर पर मालगाड़ी का परिचालन शुरू होगा। इसके बाद गया-मुगलसराय के बीच चालू किया जाएगा। पूर्व से गया-मुगलसराय के बीच रेलवे की बिछी तीन लाइन के अलावे फ्रेट कॉरिडोर को चालू होने के बाद पाँच लाइनें हो जाएंगी। इसे देखते हुए रेलवे ने गया-मुगलसराय के बीच 80 आरओबी का निर्माण कार्य शुरू कराने की भी मंजूरी दे दी है। आरओबी निर्माण कार्य राज्य सरकार द्वारा पूरा कराया जाएगा।

(साभार : हिन्दुस्तान, 14.1.2020)

बिहार के नौ स्टेशनों से 14 निजी ट्रेन चलाने का प्रस्ताव

नीति आयोग और रेल मंत्रालय ने देश के 100 स्टेशनों से 150 ट्रेन चलाने की जिम्मेदारी निजी ऑपरेटरों के सौंपने का प्रस्ताव तैयार किया है। इनमें बिहार के प्रमुख स्टेशनों से 14 निजी ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव भी है। ये स्टेशन हैं- पटना, दरभंगा, दानापुर, भागलपुर, कटिहार, बरौनी, पाटलिपुत्र, गया और छपरा।

नीति आयोग ने हाल ही में 'निजी भागीदारी : 'यात्री ट्रेन' नामक परिचर्चा पत्र जारी कर लोगों से सुझाव मांगे हैं। इसमें बिहार के प्रमुख स्टेशनों से 14 ट्रेन चलाने की बात कही गयी है। नीति आयोग के मसौदे में बीडरों के लिए कई नियम बनाये गये हैं। इसमें सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थाएँ भाग ले सकती हैं, लेकिन पिछले पाँच साल की उनकी टेक्निकल कैपेसिटी 2700 करोड़ होनी जरूरी है।

16 डब्बों का होगी एक रेक : ट्रेन में 16 डब्बों की रेक होगी। यह संबंधित कंपनी की अपनी होगी। इसके शिड्यूल मेंटेनेंस का पहला परीक्षण 31 दिन अथवा 40 हजार किमी परिचालन के बाद ही किया जायेगा। सात हजार किलोमीटर से पहले रेलवे की ओर से कोई जाँच नहीं की जायेगी। इस दौरान सफाई व धुलाई सरीखे कार्य होते रहेंगे। **(साभार : प्रभात खबर, 8.1.2020)**

वसीयत लिखें ही नहीं, उसे रजिस्टर्ड भी कराएँ

वसीयत में विशेष रूप से व्यक्ति के विचारों और इच्छाओं का खुलासा होता है, जिन्हें व्यक्ति खुद की मृत्यु के बाद पूरी होती देखना चाहता है। वसीयत लिखने वाला व्यक्ति इसमें फेरबदल कर सकता है।

वे सभी लोग जिनके पास धन-संपत्ति है, वे वसीयत करा सकते हैं। वसीयत यानी 'विल डाक्यूमेंट्स' एक ऐसा दस्तावेज है जो परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति के बंटवारे को क्लीयर करता है। यह वसीयत इतनी पॉवरफुल होती है कि व्यक्ति के जीवित न रहने पर इसमें लिखा सर्वोच्च अदालत भी मान्य करती है।

वैसे देखा जाए तो हर व्यक्ति को वसीयतनामा तैयार करना चाहिए। ऐसा

करने से उसके न रहने पर परिवार में शांति बनी रहती है। पारिवारिक विवादों से बचने के लिए 'विल' लिखना न केवल उत्तराधिकार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह न तो एजटिल प्रक्रिया है और न ही महँगी। इसलिए कानूनी तौर पर वसीयत लिखना हमेशा बुद्धिमानी का काम होता है, ताकि आपकी धन-संपत्ति आपकी इच्छा के अनुसार आपके वारिसों में बांटी जा सके। संपत्तियों के वितरण में विशेषज्ञों की जरूरत होती है, इसलिए कानूनी सलाह लेना फायदेमंद रहता है। वसीयत के कई प्रकार होते हैं-

किस उम्र में लिखना चाहिए वसीयत : इसकी कोई उम्र निर्धारित नहीं है, लेकिन कानूनी रूप से जो भी व्यक्ति 21 वर्ष का हो चुका हो, वह अपनी वसीयत बना सकता है। इसके अलावा, जिस व्यक्ति का दिमाग ठीक हो, जो दुष्कर्म, धोखाधड़ी बुरे आचरण, भ्रष्टाचार से मुक्त रहा हो। वैसे, कानूनी सलाहकारों के अनुसार कम उम्र में वसीयत लिखने से आगे चलकर पारिवारिक विवाद नहीं होते। इसके अलावा, वसीयत लिखना तभी ठीक रहता है, जब व्यक्ति के सभी अंग ठीक से काम कर रहे होते हैं।

वकील से बनवाना ठीक रहता है : वसीयत लिखने के लिए किसी वकील का होना जरूरी नहीं है। लेकिन, किसी वकील की मदद लेकर इसे तैयार करते हैं तो फर्जीवाड़े, गलतफहमी या धोखाधड़ी की आशंका कम हो जाती है। ऐसा करने से कोर्ट में वसीयत को गलत साबित करने की आशंका भी नहीं रहती। कानूनी तौर पर टाइप की हुई अथवा हाथ से लिखी गई, दोनों ही वसीयत मान्य हैं।

वसीयत का रजिस्ट्रेशन जरूरी : आपकी लिखी वसीयत से छेड़छाड़ न हो, इससे बचने के लिए इसका रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। इसके लिए रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार के पास जाएँ। उनके बताए अनुसार निर्धारित फीस भरें और रजिस्टर करा लें। इसके लिए आपको दो गवाहों की जरूरत पड़ेगी। यह ध्यान रखें कि गवाह वे ही मान्य हैं, जो आपकी पहचान वाले हों, लेकिन उनका आपकी वसीयत से कोई लेना-देना न हो।

(अन्य जानकारी के लिए विजिट करें- info.mysabkuch.com)

(साभार : दैनिक भास्कर, 9.1.2020)

पटना से सहरसा के लिए जल्द ही रात में भी चलेगी ट्रेन

कोसीवासियों के लिए खुशखबरी है। पटना से सहरसा के लिए जल्द ही रात में भी चल सकती है ट्रेन। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक (जीएम) ललित चंद्र त्रिवेदी ने सहरसा में कहा कि पटना से रात की ट्रेन की काफी डिमांड है। इससे बड़ी आबादी को फायदा होगा। इसके लिए प्रयास किया जाएगा। एक साल के अंदर सहरसा को फारबिसगंज से जोड़ा जाएगा। एक से डेढ़ महीने में सहरसा से सरायगढ़ के बीच ट्रेन चलने लगेगी। इसी साल 2020 में निर्मली तक ट्रेन सेवा शुरू होते ही कोसी इलाके का मिथिलांचल से कोसी पुल के रास्ते जुड़ने की 87 साल की प्रतीक्षा पूरी होगी। सुपौल से अररिया तक नई रेललाइन के लिए आंशिक जमीन अधिग्रहण होने से इसके निर्माण का रास्ता भी साफ हो गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में मालगाड़ी परिचालन के लिए अलग डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर निर्माण के बाद इलाहाबाद रूट के लिए सहरसा से ट्रेन चलाना संभव हो पाएगा। **(साभार : हिन्दुस्तान, 18.1.2020)**

अब पटना एयरपोर्ट पर ही करें एयर एंबुलेंस की बुकिंग

गंभीर रूप से बीमार मरीजों के परिजनों को एयर एंबुलेंस की बुकिंग के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अब एयरपोर्ट पर ही इसकी बुकिंग होगी। 16.1.2020 को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने एयरपोर्ट टर्मिनल से बाहर निकलने वाले गेट के पास इसके बुकिंग काउंटर का उद्घाटन किया। दिल्ली की एयर एंबुलेंस ऑपरेटर कंपनी वीएसआर ग्रुप ने स्थानीय ऑपरेटर अंशु अमन के सहयोग से यह काउंटर खोला है। पटना में एयर एंबुलेंस की सेवा 15 वर्षों से है और चार कंपनियाँ पहले से यह सेवा दे रही हैं। लेकिन, एयरपोर्ट पर उनका बुकिंग काउंटर नहीं होने से जरूरतमंद रोगियों के परिजनों को ऑनलाइन पता खोज कर उनके दफ्तरों तक पहुँचना पड़ता था। इसमें असुविधा भी होती थी और मरीज को ले जाने में देरी भी। लेकिन, एयरपोर्ट पर बुकिंग काउंटर शुरू होने से ये परेशानी दूर हो जायेगी। पटना से सेवा दे रहीं एयर एंबुलेंस कंपनियाँ : एरोमेक एविएशन, लाइफ लाइन मेडिकल सर्विसेज, पंचमुखी, एयर रेसक्यूअर्स और वीएसआर ग्रुप

(विस्तृत : प्रभात खबर, 17.1.2020)

बीमारी से नौकरी जाने पर भी मुआवजा

जल्द ही कंपनियों को उन कामगारों को भी मुआवजा देना पडेगा जिन्हें लंबी बीमारी के कारण नौकरी से निकाला जाएगा। मौजूदा नियम के मुताबिक इस तरह के कामगारों के लिए मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है। औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक, 2019 में ऐसे कामगारों को मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। केन्द्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने इस विधेयक को पिछले साल दिसम्बर में श्रम पर संसद की स्थायी समिति के हवाले किया था। औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक के जरिये तीन श्रम कानूनों को साथ मिलाया जाएगा। इनमें ट्रेड यूनियंस ऐक्ट, 1926, इंडस्ट्रियल एम्पलॉयमेंट (स्टैंडिंग ऑर्डर्स) ऐक्ट, 1946 और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 शामिल हैं। **(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4.1.2020)**

हॉलमार्किंग अगले साल से अनिवार्य

सरकार सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग अनिवार्य करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत अगले साल से सिर्फ 14, 18 और 22 कैरेट हॉलमार्क वाले सोने के गहने बेचे जा सकेंगे। वर्तमान में सोने के आभूषण 10 अलग-अलग ग्रेड में उपलब्ध हैं। उपभोक्ता मामलों के केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि यह नई व्यवस्था 15 जनवरी, 2021 से प्रभाव में आएगी। इसका उल्लंघन करने वालों के लिए जुर्माना और एक साल तक की सजा का प्रावधान होगा। इस संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।

श्री पासवान ने बताया कि सोने की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए लाई गई इस व्यवस्था से जुड़ने के लिए आभूषण विक्रेताओं को एक साल का वक्त दिया गया है। इस दौरान वे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (बीआइएस) से पंजीकरण करा सकते हैं और अनिवार्य हॉलमार्किंग प्रणाली लागू करने की व्यवस्था कर सकते हैं। **(साभार : दैनिक जागरण, 15.1.2020)**

नक्शा पास कराने की मनमानी पर अब रोक

राजधानी में अब मनचाहे ढंग से नक्शा पास कराना पुरानी बात हो गई है। पटना नगर निगम ने अवैध निर्माण पर रोक लगाने के उद्देश्य से ऐसी व्यवस्था की है कि कोई भी गलत ढंग से मकान का नक्शा पास नहीं करा सकता है। निगम के ऑटोमैप सॉफ्टवेयर ने ऐसा बैरियर लगाया कि वर्ष 2019 में मात्र 5 नक्शा ही पास हो पाया। नगर निगम के सूत्रों ने बताया कि वर्ष 2019 में मार्च से दिसम्बर के बीच 50 से अधिक नक्शा पास कराने के आवेदन आए हैं। जिसमें पाँच को छोड़ सभी पेंडिंग में पड़े हैं।

आपको भी नक्शा पास कराने में परेशानी हो रही है तो बताएँ, हमें व्हाटसएप करें 8986018699 **(विस्तृत : आइनेक्स्ट दैनिक जागरण, 2.1.2020)**

EDITORIAL BOARD

Editor
AMIT MUKHERJI
Secretary General

Convenor
RAMCHANDRA PRASAD
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Designed & Printed by : Sharada Enterprises, Ph. : 0612-2667296